सं0-03/2017/176/62-2-2017-2/4(02)/2017

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी,2017

विषय- अवर अभियंता, लघु सिंचाई को सहायक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार न दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को शिकायत प्राप्त हुई है कि कतिपय अवर अभियंताओं को प्रभारी सहायक अभियंता का चार्ज नियमों के विपरीत दिया गया है। इस संदर्भ में आपका घ्यान शासनादेश संख्या-70/2016/1550/62-2-2016-2/4(22)/2016, दिनांक 29.6.2016 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग में शासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अवर अभियंता को जनपद में रिक्त सहायक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार न दिया जाय।

कृपया उक्त निर्देश का कडाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-03/2017/176(1)/62-2-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, उ0 प्र0।
3- समस्त अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, उ0 प्र0।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in